उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

भूमिका :–

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) का प्रारम्भ महात्मा गांधी क जन्म शताब्दी वर्ष (1969) पर किया गया था । उत्तर प्रदेश मे विश्वविद्यालय, माध्यमिक एवं प्राविधिक शिक्षा स्तर पर कुल 3,07,600 स्वयं सेवक वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्र– स्वयंसेवकों तथा कार्यक्रम अधिकारियों को सकारात्मक और उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है, जिसमें श्रमदान, सामाजिक सुधार, सामुदायिक सौहार्द, आपदा प्रबन्धन, सामुदायिक परिसम्पत्ति का निर्माण, सहायता कार्य, रक्तदान, पर्यावरण सुरक्षा, सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार, साक्षरता अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान एवं स्वच्छ भारत अभियान जैसे विभिन्न अभियानों में छात्रों को शामिल किया जाता है। योजना के अंतर्गत स्वयं सेवक को दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सामुदायिक कार्य करना होता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना (ईकाई) संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा की गई स्वैच्छिक सेवा को अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

लक्ष्य :–

(क) विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठों, कार्यक्रम अधिकारियों (महाविद्यालय/+2 स्तर विद्यालय), राष्ट्रीय सेवा योजना (ईकाई) संस्थाओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र स्वयं सेवकों की सामुदायिक सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को अभिस्वीकृति प्रदान करना।

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों को सामुदायिक सेवा और सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों और मूल्यों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व विकास के लिए प्रोत्साहित करना।

पुरस्कार का नाम

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति

पुरस्कार/प्रशस्ति का स्वरूप –

क्रं.	स्तर	पुरस्कारों की संख्या
1	विश्वविद्यालय स्तरीय (कार्यक्रम समन्वयक)	01
2.	माध्यमिक/प्राविधिक स्तरीय	01
2	जिला स्तरीय (रासेयो जिला संगठक)	2
3	संस्था स्तर (इकाई) सम्मान	5
4	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी स्तर +2 विद्यालय स्तर पर 01 पुरस्कार, 04 महाविद्यालय स्तर पर जिनमें 01 महिला इकाई आवश्यक है।	5
5	राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक स्तर 02 पुरस्कार +2 विद्यालय के विद्यार्थियों को) जिसमें 01 छात्रा स्वयंसेवक आवश्यक है। (08 महाविद्यालय के विद्यार्थियो को जिसमें 04 छात्रा स्वयंसेवक आवश्यक है ।	10

<u>पुरस्कार/प्रशस्ति हेतु पात्रता</u> :

(एक) अ– विश्वविद्यालय/माध्यमिक/प्राविधिक शिक्षा/संस्थान स्तर

1– विगत तीन वर्षों की गतिविधियाँ

2– स्वयं सेवकों की संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर 10,000 से कम न हो तथा माध्यमिक, प्राविधिक एवं संस्थान स्तर पर 2500 से कम न हो।

3– अपनी संस्था द्वारा किए गए कार्यक्रमों की रिपोर्ट और वित्तीय लेखा प्रस्तुत करने में समय के पाबंद हों।

4– जिस वर्ष के लिए पुरस्कार/प्रशस्ति हेतु विचार किया जा रहा है, उससे कम से कम तीन वर्ष पहले तक लगातार विशेष शिविर का लक्ष्य और वास्तविक नामांकन प्राप्त कर लिया हो।

5– विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर विगत पाँच वर्षों में भागीदारी रही हो जैसे राष्ट्रीय एकता शिविर, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड/प्री.आर. डी. शिविर, मेगा कैम्प, साहसिक कार्यक्रम (एडवेंचर) एवं स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप इत्यादि ।

6– किसी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया हो अथवा पुरस्कार प्राप्त किया गया हो। जैसे – एड्स, पल्स पोलियो, मानव अधिकार, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण संरक्षण, पुरातत्विक धरोहर का संरक्षण एवं इंदिरा गांधी एन.एस.एस. पुरस्कार आदि।

7– उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या जाँच लम्बित न हो।

(दो) ब. जिला स्तर –

(1) जिले की इकाईयों द्वारा सक्रिय होकर समस्त गतिविधियाँ में निर्धारित लक्ष्य

प्राप्ति के साथ कार्यक्रम संचालित किए गए हो तथा जिले की इकाइयों में

80 प्रतिशत से अधिक विशेष शिविरों का आयोजन हुआ हो।

(2) नियमित गतिविधियों एवं शिविर संचालन में भरपूर सहयोग किया गया हो,

(3) उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या जाँच लम्बित न हो ।

(4) जिले की इकाईयों का राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता एवं आयोजन में सहयोग को महत्वपूर्ण माना जायेगा।

(5) जिला स्तरीय आयोजनों एवं राज्य स्तर के कार्यक्रमों में सहयोग को अधिमान्यता दी जाएगी।

(तीन) स.संस्था इकाई स्तर –

(1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार पर विचार किया जा रहा है उसके पहले के पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना संस्था (इकाई) लगातार अस्तित्व में रही हो।

(2) उन्हीं संस्थाओं/इकाई को प्रशस्ति प्रदान की जाएगी। जिनके कार्यक्रम अधिकारी को इस वर्ष का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त हो रहा है।

(3) गत तीन वर्षों के दौरान (इकाई) संस्था ने अपना नामांकन और विशेष शिविर लक्ष्य लगातार प्राप्त किया हो।

(4) जिस संस्था में एक से अधिक राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई हो ऐसी संस्था ने अपना नामांकन और शिविर लक्ष्य पूर्ण कर लिया हो एवं एन.एस.एस. संस्था द्वारा परिसर गोद लिए गए ग्राम/नगरीय क्षेत्र में वार्ड / झुग्गी बस्तियों में स्थाई सम्पत्ति निर्मित–जैसे स्वच्छ शौचालय, साइकिल स्टैंड, सड़क का निर्माण, नाली निर्माण आदि की गई हो अथवा निर्माण कार्य में सहयोग दिया हो।

(5) नियमित गतिविधियों एवं शिविरों में व्यक्तित्व विकास के लिये अन्य एजेंसियों के साथ कार्यक्रम कर आयोजन अनिवार्य रूप से किया हो एवं स्वयंसेवकों की भागीदारी राज्य एवं राष्ट्रीय सभी कार्यक्रमों में हो उसे महत्वपूर्ण माना गया।

(6) कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्तियाँ रासेयो मार्गदर्शिका/रूप रेखा के अनुसार की गई हो।

(चार) द.कार्यक्रम अधिकारी स्तर :–

(1) कार्यक्रम अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष पूरे किये हों।

(2) सूच्यांकित प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश (ETI) एवं अभिविन्यास केन्द द्वारा प्रशिक्षित होना चाहिए प्रशिक्षण को विशेष अधिमान्यता दी जाएगी। ई0टी0आई0 द्वारा प्रशिक्षण न प्रदान किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रासेयो की समस्त गतिविधियाँ विशेष शिविर निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के साथ संचालित की हो।

(4) संबंधित कार्यक्रम अधिकारी की इकाई के स्वयंसेवकों ने 240 घण्टे के कार्य का लक्ष्य प्राप्त किया हो।

(5) संबंधित कार्यक्रम अधिकारी ने संस्था में विगत वर्षों से निरन्तर कार्य करते हुए उल्लेखनीय सफलता अर्जित की हो।

(6) इकाई के स्वयंसेवकों ने राज्य/राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप

से सहभागिता की है।

(7) इसके विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण या अन्य जांच लंबित न हो।

(8) विश्वविद्यालय में राज्य स्तर के कार्यक्रम एवं शिविरों के आयोजन में सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाएगा साथ ही राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य है। एक से अधिक कार्यक्रमों में सहभागिता को अधिमान्यता दी जाएगी।

नोटः– संस्था/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियमित गतिविधियों विशेष शिविरों के अन्तर्गत 03 वर्षो में गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त उल्लेखनीय सफलता का तुलनात्मक विवरण प्रमाण सहित प्रस्तुत करना होगा। यह अनिवार्य है एवं महत्वपूर्ण माना जाएगा।

स्वयंसेवक स्तरः–

1. राष्ट्रीय सेवा योजना में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा 240 घंटो के साथ पूरी की हो। (स्वयंसेवक की डायरी की छाया प्रति संलग्न करें)

2. राष्ट्रीय/राज्य स्तर के एक कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य है। एक से अधिक कार्यक्रमों में सहभागिता को अधिमान्यता दी जाएगी।

3.रासेयो स्वयंसेवक द्वारा एक सात दिवसीय विशेष रासेयो शिविर में प्रतिभागिता अनिवार्य है ।

4. स्वयंसेवक की उम्र वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को 25 वर्ष से कम होनी चाहिए (एस0सी0/एस0टी0 का होने पर स्वयंसेवक की उम्र 28 वर्ष तक हो सकती है)।

चयन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर

प्रत्येक स्तर के पुरस्कार प्रस्ताव चयन समिति की अनुशंसा से राज्य सरकार को भेजे जायेंगे। चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा।

1.	संस्था (इकाई) स्तर/कार्यक्रम अधिकारी स्तर /स्वयंसेवक स्तर	महाविद्यालय स्तर पर गठित रासेयो सलाहकार समिति में से 3 सदस्य
2.	विश्वविद्यालय स्तर समिति	विश्वविद्यालय स्तर पर गठित रासेयो सलाहकार समिति के 03 सदस्य
3.	राज्य स्तरीय समिति —अध्यक्ष सदस्य सदस्य	1.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव, उच्च शिक्षा 2.निदेशक उच्च शिक्षा — 3.निदेशक माध्यमिक शिक्षा— 4.एक कुलपति सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) 5.स्वयं सेवी संस्था का एक सदस्य प्रतिनिधि 6.रासेयो क्षेत्रीय निदेशालय,— सदस्य, भारत सरकार के प्रमुख 7.राज्य सम्पर्क अधिकारी रासेयो

विश्वविद्यालय स्तर चयन समिति में कार्यक्रम समन्वयक और राज्य स्तर पर, राज्य सम्पर्क अधिकारी पदेन सचिव एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे।

पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र देने की तिथि :–

पुरस्कार यथासंभव प्रत्येक वर्ष 24 सितम्बर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर दिया जायेगा ।

पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :–

संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही पुरस्कार के प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

1– परिशिष्ट–1 के अनुसार विश्वविद्यालय तथा जिला स्तर के प्रस्ताव।

2– परिशिष्ट–2 के अनुसार संस्था (ईकाई) स्तर एवं कार्यक्रम अधिकारी स्तर के प्रस्ताव।

3– परिशिष्ट–3 के अनुसार रासेयो स्वयं सेवकों के प्रस्ताव।

नोट :–

अ– समस्त विश्वविद्यालय संस्था एवं जिले से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण विश्वविद्यालय स्तरीय सलाहकार चयन समिति से कराकर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य शासन को 25 जुलाई तक भेजेंगे।

ब– किसी भी विश्वविद्यालय से संस्था/कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर 4 एवं स्वयं सेवक स्तर के प्रस्ताव पांच से अधिक नहीं भेजे जायेंगे।

स– आवेदन पत्रों पर संबंधित के नवीनतम पासपोर्ट साइज के छाया चित्र चिपकाए जायें। (अनिवार्य रूप से)

पुरस्कार/प्रशस्ति की प्रकृतिः

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति निम्नलिखित अनुसार प्रदान किये जायेंगे।

क्रं.	पुरस्कार स्तर	संख्या	सम्मान	राशि	योग
1	विश्वविद्यालय (कार्यक्रम समन्वयक)	01	सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और शाल	30,000	30,000
2.	माध्यमिक/ प्राविधिक स्तर	01	सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और शाल	30,000	30,000
3	जिला स्तर (जिला संगठन)	02	सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और शाल	20,000	40,000
4	संस्था (ईकाई) स्तर	05	सम्मान स्वरूप प्राचार्य को प्रशस्ति पत्र शाल	..	..
5	कार्यक्रम अधिकारी स्तर	05	सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और शाल	15,000	75,000
6	स्वयं सेवक स्तर	10	सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और पदक	10,000	1,00,000

पुरस्कार/प्रशस्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि

क	स्वयं सेवक /कार्यक्रम अधिकारी (इकाई) स्तर	विश्वविद्यालय/माध्यमिक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव 15 जुलाई तक भेजे जाएगें
ख	स्वयं सेवक/कार्यक्रम अधिकारी/संस्था जिला/विश्वविद्यालय	सभी प्रस्ताव राज्य शासन को अनुशंसा सहित 30 जुलाई तक भेजे जाएगें